चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते

हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्ग विजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह मय हमराही का0 अनिकेत के द्वारा अ0सं0 78/21 धारा 393/323/504 भादवि0 3(2)5 एक्ट के वारण्टी अभियुक्त सौरभ पांण्डेय पुत्र स्व० जयप्रकाश पाण्डेय निवासी काशीराम कालोनी लोढवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।
आवेदिका शर्मिला देवी पत्नी बृजेश सोनकर निवासिनी ग्राम कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट ने अपने पति बृजेश सोनकर व ससुराली जनो के विरूद्ध के विरूद्ध मारपीट कर घर से निकाल देना, जान से मारने की धमकी एवं अतिरिक्त दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी व महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।
समझौता कराने वाली टीमः-
1.प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी
2.मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

(4). जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस का आयोजन भरतकूप थाना में किया गया।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने राजस्व एवं पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों से कहा कि भूमि संबंधी जो मामले हैं उनका मौके पर जाकर निस्तारण कराया जाए ताकि समस्या ग्रस्त व्यक्ति को उनकी समस्या से निजात मिल सके।

जिलाधिकारी ने कानूनगो एवं लेखपालों से कहा की राजस्व मामलों के अंतर्गत धारा 24, 116, जो लंबित है उनका प्रतिदिन लक्ष्य बनाकर त्वरित गुणवत्तापूर्ण शासन की मंशा के अनुरूप निस्तारण कराया जाए, उन्होंने कहा कि मेरी जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट में सबसे अधिक समस्याएं कर्वी तहसील के अंतर्गत की आती है आप लोग क्षेत्र में जाकर भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण मौके पर करें अगर ऐसा नहीं किया गया और मेरे पास समस्या ग्रस्त व्यक्ति समस्या लेकर आएंगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा , उन्होंने कहा कि गर्मी का समय चल रहा है आग्नि तथा किसी भी तरह की जो हानि होती है उसकी आर्थिक सहायता तत्काल दिलाया जाए आप सभी लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तभी पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगे।

समाधान दिवस के अवसर पर थानाध्यक्ष भरतकूप श्री उदय प्रताप सिंह सहित कानूनगो ,लेखपाल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

(5) दिनाँक-23.05.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध समीक्षा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

अपराध समीक्षा गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये

(i). भादवि0 के अपराध तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

(ii). अधिनियम के तीन वर्षीय तुलनात्मक विवेचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(iii). प्रचलित अभियानो के सम्वन्ध मे चर्चा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(IV). 03 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(V) हिस्ट्रीशीट खोलने/नष्ट करने हेतु निर्देशित किया।

(VI) भारी संख्या मे लंबित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

(VII). गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्य़वाही करने हेतु निर्देश ।

(VIII). हत्या/लूट/चोरी/नकबजनी के अनावरण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश ।

(IX). 07 वर्षों से अधिक सजा के अभियोगों के कार्यवाही के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

(x). 363, 366 भादवि0/137(2), 87 बीएनएस के बरामदगी हेतु शेष लम्बित अभियोगों के निस्तारण करने हेतु निर्देश।

(xi). एनसीआर व एफआईआर के आरोप पत्र/अंतिम पत्र दाखिला सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(xii). आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के निस्तारण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(xiii). थाना स्थानीय पर लंम्बित चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xiv). दर्पण डैसबोर्ड की रैकिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xv). माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xvi). सड़क दुर्घटना से सम्वन्धित पुलिस फार्म FAR, IAR, DAR के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xvii)क्राइम अगेस्ट वुमेन पोर्टल में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xviii) यक्ष में अपराधियों की आपराधिक इतिहास, फोटो, फिंगरप्रिन्ट आदि की फीडिंग किये जाने के सम्नन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xix). ई-साक्ष्य व ई-सम्मन की तामिला के सम्बन्ध में कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात श्री यामीन अहमद क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,पीआरओ श्री पंकज तिवारी एवं समस्त थाना/चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहें।